

पत्र संख्या-प0नि0 30-36/2015

प्रेषक,

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
मधुबनी।



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पटना, दिनांक-7.6.24

विषय :- प्रखंड जयनगर के उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 2159 दिनांक 13.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करते हुये प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया था, परन्तु उक्त प्रावधान के सूक्ष्म विश्लेषण पर आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि धारा-157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जिला दण्डाधिकारी द्वारा मत विभाजन/अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के सम्पन्न हो जाने के उपरांत नहीं किया जा सकता।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रासंगिक पत्रांक 2159 दिनांक 13.05.2024 से प्रदत्त निदेश को वापस लिया जाए, तदनुसार निदेश को वापस लिया जाता है। विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 16 के प्रावधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी सूचना सात दिन पूर्व दिया जाना है, जबकि प्रखंड जयनगर के उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना निर्धारित सात दिन पूर्व तामिला होने के अन्तर्गत नहीं है, जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखंड जयनगर के उप प्रमुख के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एवं अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी।